28.12.22 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के वकील उपस्थित।

वकील वादी ने अपनी बहस में अभिकथन किया कि मौजा तालबाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 126 रकबा 23.7927 हैक्टयर भूमि के 1/3 हिस्से के खातेदार रूगनाथराम पुत्र भैराराम कौम खत्री से उसका समग्र हिस्सा जरिये रजिस्ट्री क्रय कर क्रयशुदा भूमि, जहा विक्रेता काबिज था, का क़ब्जा प्राप्त किया। वक्त खरीद से वादी अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है और उसी अनुसार तहसीलदार सिणधरी ने विभाजन प्रस्ताव तैयार किये है। अतः माफ़िक प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि विभाजित की जाकर पृथक खसरे एवं खाते कायम किये जावे।

इसके विपरित वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 की बहस थी कि वादी प्रेमाराम ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान विक्रेता रूगनाथराम से उसका हिस्सा क्रय अवश्य किया है, परन्तु मौके पर न तो विक्रेता का एवं न ही क्रेता का उक्त भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा रहा है। इस प्रकार कब्जे के अभाव में वादग्रस्त भूमि में वादी विभाजन का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर निरस्त किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा प्राप्त प्रस्तावें का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादी वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में उसका 1/3 हिस्सा दर्ज है। इसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। जहा तक प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विद्वान वकील की वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं होने की दलील का प्रशन है, कब्जा होने अथवा नहीं होने पर किसी सहखातेदार के खातेदारी हको पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और न किसी सहखातेदार के विरूद्व कब्जा (एडर्वस पजेशन) के प्रावधान लागू होते है। विभाजन प्रस्ताव खातेदारान के राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सों के अनुसार तथा प्रत्येक पक्ष की आवागमन हेतु सड़क की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किये गये है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:04 IST
Reason: SelfAttested

26/12/2022
सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

वादी ने माफिक प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्तावानुसार उक्त भूमि विभाजित किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा तालबाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 126 रकबा 23.7927 हैक्टयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताविक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:–

| क्र.सं. | नाम खोतदार | खसरा नम्बर | रकबा (हैक्ट. में) | लगान | बरंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रेमाराम पुत्र कोशलाराम कौम जाट सा. भाटाला खातेदार | 126 | 7.9282 | 0.63 | हरा |
| 2 | रामाराम हि. 1/2 लिखमाराम हि. 1/2 पि. मघाराम कौम जाट सा.देह खातेदार रहन लिखमाराम का पूर्ण हिस्सा RMGB शाखा सड़ा | 126 | 15.8645 | 1.27 | पीला |

तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्तावों के सलंग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा वादग्रस्त भूमि में बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

28/12/2022
सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:04 IST
Reason: SelfAttested